☎ 0522–2838081, 2838082
मिशन निदेशालय
सबके लिए आवास / एस.एल.एन.ए.-सूडा(उ.प्र.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
23, सैक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल–100) लखनऊ–226010
website-www.sudaup.org
e-mail-hfaup1@gmail.com

प्रधान मंत्री
आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

पत्रांकः– 4841/01/29/HFA-21/2019–20 दिनांकः– 25 अक्टूबर, 2019

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा

समस्त परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

विषयः–**परित्यक्ता/तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से लाभान्वित किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25.09.2019 को की गयी घोषणा के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–सी0एम0–42/69–1–2019–14(38)/2019 दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा परित्यक्ता/तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या/सूचना तत्काल उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परित्यक्ता/तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या/सूचना तत्काल सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे सूचना को संकलित कर शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 25/X/2019

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
ह/c निदेशक, सूडा।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त पीएमसी कन्सलटेन्ट्स को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर) 25/X/2019

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
ह/c निदेशक, सूडा।

HFA-20/9

संख्या–सी0एम0–42/69–1–2019–14(38)2019

प्रेषक,

अखिलानन्द ब्रह्मचारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।　　　लखनऊ : दिनांक 24 अक्टूबर, 2019

विषयःपरित्यक्ता/तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) से लाभान्वित किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25.09.2019 को की गयी घोषणा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री घोषणा प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–मुमस/485/चौतीस/मु0मं0घो0प्र0/2019/वाई0ए0 एन0–16/2019 दिनांक 30.09.2019 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि परित्यक्ता/तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) से लाभान्वित किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25.09.2019 को घोषणा की गयी है तथा उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उक्त पत्र दिनांक 30.09.2019 में उल्लिखित बिन्दुओं के सन्दर्भ में कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया परित्यक्ता/तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) से लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या/सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्य मंत्री घोषणा प्रकोष्ठ
संख्या:मुमस/485/चौतीस/मु0मं0घो0प्र0 /2019/Y.A.N.-16/2019

लखनऊ : दिनांक 30 September 2019

प्रमुख सचिव,
नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25/09/2019 को जनपद लखनऊ में निम्न घोषणा की गई है :-

क्रमांक	घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण
1	Y.A.N.-16/2019 (क.स.- GH11Y001177)	परित्यक्ता/तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है :-

1 - दिनांक 25/10/2019 तक घोषणा से संबंधित बिन्दुओं जैसे आगणन लागत, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि तथा घोषणा के पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि आदि की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट http://upcmo.up.nic.in पर अनिवार्य रूप से फीड कर दी जाय एवं इस टाइम लाइन की नियमित समीक्षा की जाय। यदि घोषणा के अनुपालन में किसी कार्यदायी संस्था की आवश्यकता नहीं है तो इस तथ्य की प्रविष्टि कर दी जाए। घोषणा के अनुपालन में निर्माण कार्य प्रस्तावित होने की स्थिति में अथवा अन्यथा नामित की गयी कार्यदायी संस्था का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। यदि कार्यदायी संस्था उपरोक्त दिनांक तक नामित नहीं की जा सकी है तो इसके नामित किये जाने की संभावित तिथि का उल्लेख किया जाए। घोषणा पूर्ण तभी मानी जायेगी जब उसका कार्य पूर्ण होकर जनता को इसका लाभ मिलने लगेगा। अतः इसी आधार पर घोषणा के पूर्ण होने की तिथि भी अंकित की जाये।

2- विभाग द्वारा इस घोषणा के अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर के एक अधिकारी को विभागीय नोडल अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था के नामित होने की स्थिति में अधिशासी अभियन्ता से अनिम्न स्तर के एक अधिकारी को फील्ड स्तरीय प्रगति हेतु नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाये। यथा स्थिति नोडल अधिकारियों के नाम,पदनाम, मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. की http://upcmo.up.nic.in पर फीडिंग करायी जानी अनिवार्य है।

3- (क) http://upcmo.up.nic.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवंटित विभाग के स्तर पर प्रत्येक पन्द्रह दिन में कम से कम एक बार इस घोषणा की प्रगति (अद्यावधिक स्थिति) को अनिवार्यतः फीड कराया जाये तथा फीडिंग के दिनांक तक की प्रगति के फोटोग्राफ्स को पी.डी.एफ. में अपलोड किया जाये। कार्य की प्रकृति के अनुसार एक या एक से अधिक फोटोग्राफ्स को अधिकतम 01 एम0बी0 की एक पी0डी0एफ0 फाइल बनाकर अपलोड किया जा सकता है।

(ख) जिन घोषणाओं में निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है उनमें यदि फीडिंग के दिनांक तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो उस दिनांक से पूर्व एक माह की अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु किये गये प्रयासों से संबंधित सुसंगत अभिलेखों (यथा नोटशीट, पत्राचार, आदेश की प्रति आदि) को फोटोग्राफ्स के स्थान पर पी0डी0एफ0 में अपलोड किया जाए। इसी प्रकार जिन घोषणाओं में निर्माण कार्य निहित नहीं हैं, उनमें घोषणा की प्रगति/पूर्ति से संबंधित सुसंगत अभिलेखों (यथा नोटशीट, पत्राचार, आदेश की प्रति आदि) को फोटोग्राफ्स के स्थान पर पी0डी0एफ0 में अपलोड किया जाए। इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखा जाए कि अपलोड की जाने वाली सूचना/फोटोग्राफ्स अद्यतन हो एवं पूर्व में अपलोड न किये गये हो। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार घोषणा की प्रगति (अद्यावधिक स्थिति) तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स को अपलोड किया जाना है, अतः जब भी इस संबंध में कोई सूचना/फोटोग्राफ्स/अभिलेख अपलोड किये जाए तो वह पूर्व में अंकित सूचना के बाद के किये गये प्रयासों तथा प्रगति से संबंधित होने चाहिए। सूचनाओं का बार-बार रिपीट किया जाना गम्भीरता से लिया जाएगा।

4- विभागीय नोडल अधिकारी को वेबसाइट पर घोषणा से संबंधित सूचनाओं को फीड कराने हेतु तथा समय-समय पर परिस्थितिनुसार सूचनाओं में संशोधन किये जाने हेतु उत्तरदायी बनाया जाएगा।

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

2-क्र

5- http://upcmo.up.nic.in पर आपके द्वारा मुख्य मंत्री कार्यालय के संदर्भों के अनुश्रवण एवं फीडिंग हेतु प्रयोग में लाये जा रहे लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से ही मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को फीड किया जा सकता है। यदि आपके पास आपका लागिन आई.डी. एवं पासवर्ड किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो आप http://upcmo.up.nic.in पर बने लिंक 'अधिकारीगण स्वयं से संबंधित संदर्भ एवं घोषणाओं के लिए यहाँ क्लिक करें' पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाले पेज पर "Forgot your Login ID/Password" पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी श्रेणी का चयन कर पासवर्ड रिक्वेस्ट हेतु निर्धारित फार्म ऑनलाइन भर दें। आपके दिये गये मोबाइल नं0 पर अधिकतम दो कार्य दिवसों में आपका लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड एस.एम.एस. के माध्यम से पहुँच जायेगा।

6- सूचनाओं/फोटोग्राफ्स को अपलोड करने में अथवा ऑनलाइन फीडिंग में किसी भी अन्य समस्या के निराकरण हेतु श्री आर0 के0 बजाज, विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री कम्प्यूटर सेल से किसी भी कार्यदिवस में दूरभाष संख्या-0522-2239236 पर संपर्क किया जा सकता है।

7- यदि इस घोषणा को पूर्ण कराना किसी दूसरे विभाग की कार्यवाही अथवा प्रगति पर निर्भर है तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप दूसरे विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे विभाग द्वारा अपेक्षानुसार रूचि नहीं ली जा रही है तो इसकी सूचना तुरन्त मुख्य मंत्री कार्यालय में आपके विभाग को देख रहे अधिकारी को उपलब्ध करायें।

8- घोषणा के पूर्ण होने पर विभाग द्वारा इससे संबंधित तथ्यों की ऑनलाइन फीडिंग/ अपलोडिंग की जायेगी एवं एक पत्र के माध्यम से मुख्य मंत्री घोषणा प्रकोष्ठ को भी सूचित किया जाए। घोषणा प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षण कर पत्रावली को मुख्य मंत्री कार्यालय में घोषणा से संबंधित विभाग को देख रहे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(संजय प्रसाद)
सचिव, मुख्यमंत्री

संख्या-मुमस 485 (1)/चौतीस/मु0मं0घो0प्र0 /2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव,वित्त/ नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।

2- आयुक्त,लखनऊ मण्डल।

3- जिलाधिकारी, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अजय कुमार ओझा)
अनु सचिव , मुख्यमंत्री